राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल श्री बागडे ने जारी किए आदेश

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह पद से निलम्बित

जयपुर, 7 अक्टूबर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

यह निलंबन डॉ. बलराज सिंह द्वारा कार्यकाल के अंतिम तीन माह में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लेने के कुलगुरु द्वारा उल्लंघन किए जाने और उनके विरुद्ध मिली विभिन्न गंभीर शिकायतो के कारण किया गया है। कुलगुरु के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के अंतर्गत उनके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लेखित अपने अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्मिकों की सेवा बर्खास्तगी एवं स्थांतरण करने और नियमों की अनदेखी किए जाने, प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने आदि प्रमुख है।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने जांच प्रभावित नहीं हो, इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की है।